Cws-132/2022

फर्द अहकाम

अज अदालत –जिला कलक्टर,–मुकाम –भरतपुर

राधेश्याम ऊचिंया **बनाम** मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि0प0

किस्म मुकदमा–अपील आर.टी.आई. नम्बर ...44 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
6.6.2022	प्रार्थी/अपीलान्ट श्री राधेश्याम ऊंचिया गंव पो0 बन्शी बागरी, जिला भरतपुर ने आर टी आई के तहत यह अपील मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भरतपुर खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अपील के साथ सलंग्न फोटो प्रति पत्रादि से जाहिर है कि प्रार्थी ने आर.टी.आई. के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण, आरटीआई के तहत यह अपील इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। आर.टी.आई. एक्ट के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भरतपुर के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार सम्बन्धित जिला प्रमुख, जिला परिषद, भरतपुर को है। अतः प्राप्त मूल अपील को लौटाई जाकर अपीलार्थी को लिखा जावे कि वह नियमानुसार जिला प्रमुख, जिला परिषद, भरतपुर को अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो। जिला कलक्टर भरतपुर (राज0)	